

Demarcation of Indo-East Pak. Border

1430. SHRI RAM CHARAN:
SHRI LAKHAN LAL
KAPOOR:
SHRI VISHWA NATH
PANDEY:

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a formal agreement between India and Pakistan on the seasonal demarcation along Murshidabad-Rajshahi border, covering 75 miles, was signed on the 14th January, 1968 at Calcutta; and

(b) if so, the details of the agreement?

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF PLANNING AND MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRIMATI INDIRA GANDHI): (a) and (b). The boundary between India and East Pakistan in the Murshidabad-Rajshahi section is riverine for a length of about 78 miles. Every year after the monsoon, some charlands appear which on a few occasions in the past, resulted in border incidents because of doubts regarding their ownership. In order to prevent these incidents, the practice of seasonal demarcation was evolved which has become an annual exercise.

Accordingly, in terms of a decision taken at the Conference of the Directors of Land Records and Surveys of West Bengal and East Pakistan held in Dacca on 25th and 26th September 1967 the field work for seasonal demarcation of the Murshidabad-Rajshahi sector was undertaken on the 16th November, 1967. On completion of the field work, topographical sheets were signed by the authorities of the two sides on 15/17th January 1968.

उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और मद्रास में परियोजनाएं

1431. श्री राम चरण : क्या प्रधान मंत्री 27 जुलाई, 1967 के अंतरांकित

प्रश्न संख्या 7070 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हालांकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या मद्रास और पश्चिम बंगाल से अधिक है और वह औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, किन्तु फिर भी पश्चिमी बंगाल और मद्रास में अधिक प्रयोजनायें स्थापित की गई हैं, इसके क्या कारण हैं ;

(ख) पश्चिम बंगाल और मद्रास में परियोजनाओं पर कुल कितनी लागत आई है ;

(ग) क्या इस कमी को पूरा करने के लिये 1967-68 में उत्तर प्रदेश को अधिक सहायता देने का सरकार का विचार है ; और

(घ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) औद्योगिक परियोजनाओं का स्थान-निर्धारण मुख्यतया तकनीकी आर्थिक आधारों पर किया जाता है। इस सीमा के अन्तर्गत सापेक्षतया पिछड़े क्षेत्रों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है।

(ख) तीसरी योजना अवधि में 6 पश्चिमी बंगाल में औद्योगिक परियोजनाओं और मद्रास में 5 औद्योगिक परियोजनाओं पर क्रमशः 138 करोड़ रुपये और 94 करोड़ रुपये का पूंजी विनियोजन किया गया।

(ग) और (घ) वार्षिक प्रावधान का सम्बन्ध प्रत्येक परियोजना की आवश्यकता से सम्बद्ध है, अतः किसी विशेष राज्य को अतिरिक्त सहायता देने का प्रश्न नहीं उठता।